



2026:AHC:176181

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 482 बीएनएसएस

संख्या - 5494 वर्ष 2026

महावीर और 4 अन्य

.....आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य

.....प्रतिपक्षी (गण)

आवेदक (गण) के अधिवक्ता

: अनवर हुसैन

प्रतिपक्षी (गण) के अधिवक्ता

: अश्वनी मिश्रा, शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 72

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता को दिन के दौरान पक्षकारों की सूची से आवेदक संख्या 2, जगदीश उर्फ जग्गु का नाम हटाने की अनुमति दी जाती है।
2. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता श्री अनवर हुसैन, प्रतिपक्षी संख्या 2/शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अश्वनी मिश्रा, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता की बात सुनी और अभिलेख का अवलोकन किया।
3. वर्तमान आवेदन आवेदकों की ओर से प्रकरण अपराध संख्या 106 वर्ष 2026, धारा 109(1), 351(3), 352, 126(2), 191(3), 191(2) और 190 के तहत, थाना अकराबाद, जिला अलीगढ़ में अग्रिम जमानत देने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक पूरी तरह निर्दोष हैं और उन्हें वर्तमान प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। कथित अपराध से उनका कोई संबंध नहीं है; इसके बावजूद पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। आगे यह तर्क दिया गया है कि कथित घटना 04.03.2026 को रात 9 बजे घटी थी, जबकि प्राथमिकी चार दिन बाद 08.03.2026 को रात 8:21 बजे दर्ज की गई। प्राथमिकी दर्ज करने में हुई देरी का अभियोजन पक्ष द्वारा संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। प्राथमिकी में आवेदक संख्या 1, 3, 4 और 5 के साथ 8-10 अज्ञात व्यक्तियों को नामजद किया गया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, सुनील, रोहित, अनुज और विनीत नामक चार व्यक्तियों को कथित घटना में चोटें आईं। हालांकि, घायल अनुज, सुनील और रोहित की पूरक चिकित्सा रिपोर्टों के अनुसार, उनकी चोटें मामूली प्रकृति की थीं और किसी कठोर और कुंद वस्तु से लगी थीं। कथित घटना में आवेदक संख्या 1, महावीर को भी चोटें आईं। उनकी चोट सूचना आवेदन के पृष्ठ संख्या 107 पर संलग्न है। आवेदक संख्या 1 की चोट सूचना से पता चलता है कि उन्हें शरीर पर चार चोटें आई हैं। आगे यह तर्क दिया गया है कि आवेदकों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 109(1) के तहत कोई अपराध नहीं बनता है। यह भी तर्क दिया गया है कि आवेदकों को जेल में रखने के लिए भारतीय न्याय संहिता की धारा 109(1) का गलत तरीके से प्रयोग किया गया है। आवेदक संख्या 1, 3 और 4 के विरुद्ध एक प्रकरण का आपराधिक इतिहास आवेदन के प्रस्तर संख्या 16 में स्पष्ट किया गया है। आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा है कि आवेदक विवेचना और मुकदमे के दौरान सहयोग करने का वचन देते हैं और विवेचना एजेंसी या संबंधित न्यायालय द्वारा आवश्यकता पड़ने पर उपस्थित होंगे। यह भी कहा गया है कि यदि आवेदकों को अग्रिम जमानत दी जाती है, तो वे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे, विवेचना में सहयोग करेंगे और न्यायालय द्वारा लगाई गई सभी शर्तों का पालन करेंगे।

5. दूसरी ओर, प्रतिपक्षी संख्या 2 के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता और विद्वान अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत के आवेदन का विरोध किया है, हालांकि, वे तथ्यात्मक पहलू पर विवाद नहीं करते हैं।

6. मैंने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी हैं और अभिलेख का अध्ययन किया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



7. सुशीला अग्रवाल और अन्य बनाम राज्य (एनसीटी ऑफ दिल्ली) और एक अन्य , (2020) 5 एससीसी 1 में , माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना है कि अग्रिम जमानत देने के आवेदन पर विचार करते समय, न्यायालय को अपराध की प्रकृति, व्यक्ति की भूमिका, विवेचना की दिशा को प्रभावित करने या साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने (जिसमें गवाहों को डराना-धमकाना शामिल है), न्याय से भागने (जैसे देश छोड़कर भाग जाना) आदि की संभावना पर विचार करना होगा। न्यायालय ने आगे यह भी माना है कि अग्रिम जमानत देने या न देने पर विचार करते समय न्यायालयों को सामान्यतः अपराध की प्रकृति और गंभीरता, आवेदक की भूमिका और प्रकरण के तथ्यों जैसे कारकों से निर्देशित होना चाहिए। जमानत देना या न देना न्यायालय के विवेकाधिकार का प्रकरण है।

8. सिद्धार्थ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं एक अन्य (2022) 1 सर्वोच्च न्यायालय प्रकरण 676 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता हमारे संवैधानिक दायित्व का एक महत्वपूर्ण पहलू है। विवेचना के दौरान किसी आरोपी को गिरफ्तार करने का अवसर तब उत्पन्न होता है जब हिरासत में पूछताछ आवश्यक हो जाती है, या प्रकरण जघन्य अपराध का हो, या जहां गवाहों को प्रभावित करने की संभावना हो, या आरोपी के फरार होने की आशंका हो। मात्र इसलिए कि गिरफ्तारी वैध है, इसका अर्थ यह नहीं है कि गिरफ्तारी अनिवार्य है। गिरफ्तारी की शक्ति के अस्तित्व और उसके प्रयोग के औचित्य के बीच अंतर करना आवश्यक है। यदि गिरफ्तारी को नियमित प्रक्रिया बना दिया जाए, तो इससे व्यक्ति की प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान को अपार क्षति पहुंच सकती है। यदि विवेचना अधिकारी के पास यह मानने का कोई कारण नहीं है कि आरोपी फरार हो जाएगा या समन का उल्लंघन करेगा, और वास्तव में उसने पूरी विवेचना में सहयोग किया है, तो अधिकारी पर आरोपी को गिरफ्तार करने का कोई दायित्व नहीं है।

9. अग्रिम जमानत के संबंध में कानून के स्थापित सिद्धांत, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलें, आरोप की प्रकृति, आवेदकों की भूमिका और प्रकरण के सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, अग्रिम जमानत का प्रकरण बनता है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



10. तदनुसार, अग्रिम जमानत याचिका निम्नलिखित निर्देशों के साथ स्वीकार की जाती है:-

- (i) उपर्युक्त प्रकरण में आवेदकों- महावीर, कुलदीप, रवि और सुरेंद्र सिंह की गिरफ्तारी की स्थिति में, उन्हें मुकदमे की समाप्ति तक अग्रिम जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा, बशर्ते वे संबंधित थाना के थाना प्रभारी या संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार 50,000/- रुपये का निजी मुचलका और इतनी ही राशि के दो जमानती प्रस्तुत करें।
- (ii) आवेदक विवेचना के दौरान विवेचना अधिकारी के साथ सहयोग करेंगे तथा विवेचना करने के उद्देश्य से आवश्यकतानुसार विवेचना अधिकारी को सूचना करेंगे;
- (iii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को ऐसा कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेंगे जिससे वह न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से हतोत्साहित हो; और
- (iv) आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेंगे।

11. किसी भी शर्त का उल्लंघन या दुरुपयोग होने की स्थिति में, लोक अभियोजक/विवेचना अधिकारी/शिकायतकर्ता-परिवादी संबंधित न्यायालय के समक्ष आवेदकों को दी गई अग्रिम जमानत निरस्त करने के लिए उचित आवेदन दाखिल करने के लिए स्वतंत्र हैं।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

20 अगस्त, 2026

राधिका